भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/राज0/04/09/2017/एफ.सी./630 दिनॉक: 14.02.2019

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
वन विभाग, अरण्य भवन,
झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान

ऑनलाईन आवेदन संख्या–FP/RAJ/TRANS/22004/2016

विषय: **Diversion of 16.48 ha. of forest land for 132 KV Chhattargarh Khajuwala Transmission Line in favor of RRVPNL with felling of 42 nos. of trees-reg.**

सन्दर्भ–अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, जयपुर का पत्रांक– एफ14(RRVPNL)/2016/एफसीए/प्रमुवसं/4439, दिनांक–15.01.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्षन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान का पत्रांक एफ14(आरआरपीवीएनएल)2016/एफसीए/प्रमुवंस/1169, दिनांक–27.04.2017 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसख्यक पत्र दिनांक–30.08.2017 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। जिसकी अनुपालना अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार विषयांकित परियोजना हेतु 16.48 हे0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं 42 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के दोगुने अवनत वनभूमि (16.48 x 2 = 32.96) अर्थात 32.96 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यत: औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण इस स्वीकृति के जारी होने के 1 वर्ष के भीतर करना होगा।
4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।
5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

14.2.19

6. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। यह सीमांकन 4फीट उंचे आर0सी0सी0 पीलर द्वारा किया जाएगा। जिसमें प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward Bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। यह कार्य प्रयोक्ता अभिकरण को विधिवत् स्वीकृति जारी होने के तीन माह के भीतर पूर्ण करना होगा एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाएगी।

11. प्रयोक्ता अभिकरण को (यदि आवश्यक हो) उक्त परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

12. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार, वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

13. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा इस विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,
14.2.19
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली-110003.
3. प्रमुख सचिव {वन}, सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन जयपुर ।
4. उप वन संरक्षक, छत्तरगढ़ वन प्रभाग, छत्तरगढ़, राजस्थान।
5. Ex. Engineer, RRVPNL, 66 KV GSS Campus Sagar Road, Bikaner, Rajasthan.
6. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
7. आदेश पत्रावली।

14.2.19
(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)